न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 90/2020 (RCMS : 2020/ 00245) अनवान 1. सुभाषचन्द्र पुत्र दयालाराम 2. शेलेन्द्र कुमार दयालाराम जाति जाट निवासी चक 9एसपीएम तहसील सादुलशलर जिला श्रीगंगानगर **बनाम 1. स्टेट** ऑफ राजस्थान **जरिये उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर 2. हसंराज पुत्र मनफूलराम 3. इन्द्रा देवी** सुरेन्द्र जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

11.08.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पी.डी.सोनी एवं अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री मनोहर लाल सहारण उपस्थित है। दोनों पक्षों को सुना गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 09/2018 अनुवानी हंसराज आदि बनाम इन्द्रा देवी अन्तर्गत धारा 251(ए) आर टी एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसे खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पी.डी. सोनी का भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर पर स्थानीय विधायक का दबाव है और आने वाले नये उपखण्ड अधिकारी पर भी स्थानीय विधायक का दबाव रहेगा इसलिए उनका मामला अन्यत्र समक्ष न्यायालय में मुंतकिल करना उचित होगा

मैनें दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 09/2018 अनुवानी हंसराज बनाम इन्द्रा देवी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर पर वर्तमान विधायक का दबाव है और नये पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी, पर भी वर्तमान विधायक का दबाव रहेगा इसलिए उनका प्रकरण अन्यक्ष समक्ष न्यायालय में मुंतकिल किया जाये। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। विधायक के दबाव देने सम्बन्धी आरोप साधारण प्रकृति का है जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता और ऐसा आरोप कभी भी, किसी पर भी किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है, जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:54 IST
Reason: SelfAttested